उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या-I/34397/2025-IR-17- comp no. 8157 दिनांक **16-12-2025**

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को,
वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा एवं कानपुर।

विषयः उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम—1966 के अन्तर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध किये जाने विषयक।

महोदया / महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-03/205/24-पी-2-2025 दिनांक 04.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

Pkumar

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

संख्या-I/34397/2025-IR-17 तद्दिनांक **16-12-2025**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-03/205/24-पी-2-2025 दिनांक 04.12.2025 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः—

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/ उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/ एस०एल०डी०सी०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
4. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन।
5. निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०) /वित्त/ वितरण / वाणिज्य / करापोरेट प्लानिंग / आई०टी०, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०,शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव-I/II/III, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियंता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त मुख्य अभियंता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
13. उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, 23-ए०पी० सेन रोड, लखनऊ।
14. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/ कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

15. अधिशासी अभियंता (वेब), क०सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

संख्या-I/34397/2025-IR-17 तद्दिनांक 16-12-2025

प्रतिलिपि उ०प० पावर कारपोरेशन लि० के समस्त श्रम/ सेवा संघों को उ०प्र० शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के संबंध में प्रेषित।

संलग्नक यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

पंजी० संख्या 3421 डी०सं०-17/एकालि/25
पत्रबली संख्या.......................
क्रमांक.......................

24-20099/170/2023-ऊर्जा अनुभाग-2-ऊर्जा विभाग
I/1163472/2025

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या-3/205/24-पी-2-2025
लखनऊ:दिनांक 04.12.2025

अधिसूचना

आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव अब उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर पदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3-उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 4-कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, कैस्को, 5-मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 6-पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 7-पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ, 8-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा और 9-UP Renewable & EV Infrastructure Ltd, लखनऊ के अधीन समस्त सेवाओं में हडताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

राजकुमार
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 05.12.2025 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।

SO
Punwal 8/12/25

PO/SO
08-12-25

Smt Nansi Gupta
Put up on e-office
Kumar
08/12/25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24-20099/170/2023-ऊर्जा अनुभाग-2-ऊर्जा विभाग
I/1163472/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
(2) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
(6) समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
(7) सूचना निदेशक, उ०प० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
(8) विधायी अनुभाग-1।
(9) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(10) प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को), कानपुर।
(11) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
(12) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
(13) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
(14) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
(15) गोपन अनुभाग-2 एवं ऊर्जा अनुभाग-1/3/ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24-20099/170/2023-ऊर्जा अनुभाग-2-ऊर्जा विभाग
I/1163464/2025

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.I/1163472/2025, Dated 04-12-2025

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-2
No.205/24-P-2-2025
Lucknow : Dated 04-12-2025

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act. 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 4. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 5. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 6. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 7. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 8. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra, and 9. UP Renewable & EV Infrastructure Ltd, Lucknow.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By Order,

RAJKUMAR
SPECIAL SECRETARY

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।